

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 5314117
ग्रा0वि0-6-बजट/05-08/2025

पटना, दिनांक 12/05/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के तहत DAY-NRLM अंतर्गत SVEP योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में प्रथम किस्त प्रथम भाग के रूप में विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना चलाई जा रही है ।

2. DAY-NRLM (एन0आर0एल0एम0) एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । वर्ष- 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन के पश्चात केन्द्र प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश व राज्यांश की राशि का व्यय सहायक अनुदान मद में ही निर्धारित है । स्कीम पर होने वाला व्यय का भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2015 से क्रमशः 60:40 के अनुपात में किया जाता है ।

3. DAY-NRLM अंतर्गत SVEP स्कीम के केन्द्रांश सामान्य मद के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 4494.00 लाख (चवालीस करोड़ चौरानवे लाख) का संशोधित बजट उपबंध है। वित्त विभागीय पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश एवं राज्यांश मद) में चौमाही बंधेज को बजट प्रावधानित राशि का 100 प्रतिशत तक शिथिल करते हुए नियमानुसार व्यय करने हेतु निदेशित किया गया है ।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-S-11052/27/2015/NRLM(SVEP)/Bihar(SVEP_17) दिनांक-02.02.2026 के द्वारा SVEP योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में प्रथम किस्त प्रथम भाग के रूप में कुल राशि रू0 674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार) विमुक्त किया गया है ।

5. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष-2025-26 में DAY-NRLM अन्तर्गत SVEP के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य मद में बजट उपबंध के अधीन निम्नवत् राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	(राशि लाख रू० में) केन्द्रांश
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0205 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम(एसवीईपी) (एन०आर०एल०एम०) योजना विपत्र कोड 42- 2501061010205 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	674.10
	कुल :-	674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार)

6. DAY-NRLM अन्तर्गत SVEP केन्द्रांश के सामान्य मद में कुल स्वीकृत राशि रू० 674.10 लाख (छह करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार) की निकासी विभागीय माँग सं०-42 के अंतर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-2 में अंकित बजट शीर्षों के अंतर्गत की जायेगी ।

7. स्वीकृत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत चालू स्कीम पर व्यय की जानी है, फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक- एम०४-53/2007-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में बजट उपबंधित राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है ।

8. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

(ii) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Single Nodal Account (SNA) Bihar Rural Livelihoods Promotion Society- SVEP, Punjab National Bank, Boring Road, Patna, Account No.-2910000100235506, IFSC Code- PUNB0291000, Branch Code-291000 में जमा कर देंगे । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी०आर०एल०पी०एस०, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराएँगे।


9. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-08/2025 के पृष्ठ-09/टि0 पर दिनांक-09/03/2026 को प्राप्त है ।

12. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-ग्रा0वि0-6-बजट/05-08/2025 के पृष्ठ-09/टि0 पर दिनांक-20/01/2026 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन


(रवि कुमार)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 53/4/17

पटना,

दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 53/4/17

पटना,

दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि- राजेश्वरी एस.एम, निदेशक (RL), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सातवाँ तल्ला, NDCC बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 53/4/17

पटना,

दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव